पंचदश

बिहार विधान-सभा

तृतीय सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि — 29 श्रावण, 1933 (श०) / 20 जुलाई, 2011 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या—03

(1)	पथ निर्माण विभाग	..	..	01
(2)	ग्रामीण विकास विभाग	..	..	01
(3)	जल संसाधन विभाग	..	..	01
			कुल योग	03

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

7. श्री अपरेन्द्र प्रताप सिंह-- स्थानीय हिन्दी दैनिक दिनांक 15 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित शीर्षक "जल संसाधन के 5 (पाँच) सौ करोड़ रुपये खर्च नहीं" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों एवं अभियंताओं की लापरवाही के कारण विभाग को 500 करोड़ रुपये सरेंडर करने पड़े यदि हां, तो सरकार समय पर कार्य पूरा नहीं करने व योजना के लिए आवंटित राशि सरेंडर करने वाले अभियंता एवं अधिकारी पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सेतु पर जाम

8. डॉ० इजहार अहमद-- स्थानीय हिन्दी दैनिक दिनांक 2 जून, 2011 को प्रकाशित शीर्षक "सेतु पर फिर लगने लगा जाम" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना स्थित महात्मा गाँधी सेतु खतरों की वजह से हमेशा हर दिन जाम लगा रहता है जिससे उत्तर बिहार के निवासियों को अपने गंतव्य स्थान पर आने-जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि जाम के कारणों को समीक्षा के क्रम में सिटी एस०पी० ने जून, 2011 के तीसरे सप्ताह में निरीक्षण किया एवं पाया है कि सेतु का पाया संख्या 36, 37 एवं 38 पर क्षतिग्रस्त डिंज में मरम्मती का कार्य काफी धीमा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जाम को दूर करने की दिशा में कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि खर्च नहीं करने का औचित्य

9. श्री मंजीत कुमार सिंह-- क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं० 1-11025/44/2006 आर०एच० (ए०/सी०) 740 बिहार स्पेशल, दिनांक 25 सितम्बर, 2009 द्वारा इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के लिए स्पेशल पैकेज के रूप में गोपालगंज जिला के कालाजार प्रभावित गाँव में सभी बी०पी०एल० परिवारों के लिए 6000 इकाई निर्माण हेतु अतिरिक्त सहायता की केन्द्रांश प्रथम किस्त की राशि 787.50 लाख रुपया प्राप्त हुआ था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्पेशल पैकेज के रूप में कालाजार प्रभावित बी०पी०एल० परिवारों के लिए बैकुण्ठपुर, सिंधवलिया एवं बरौली प्रखंडों में अबतक इंदिरा आवास का निर्माण नहीं कराया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अबतक राशि खर्च नहीं करने का क्या औचित्य है ?

पटना:
दिनांक 20 जुलाई, 2011 (ई०) ।

गिरीश झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 28-डी०टी०पी०-450